

प्रति,

श्री मोहन भागवतजी
सरसंघचालक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
नागपुर, महाराष्ट्र
पड़ाव—सागर, मध्यप्रदेश

स्थान - २०८२
दिनांक - १७-०१-२०१५
पत्र क्रमांक - गाय/१०८/१७

विषय - 'गाय' को 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा दिलाए जाने के संबंध में।

मान्यवर,

भारतीय संस्कृति में जीवदया, अहिंसा, प्राणिमैत्री एवं परोपकार जैसे सद्गुणों एवं उदात्त मूल्यों को सर्वोच्च वरीयता दी जाती हैं। इसी कारण से पशुधन के बीच 'गाय' (Cow, Scientific name—Bos Taurus/Bos Indicus) का महत्व, उपयोगिता को साहित्य और संस्कृति में सदा ही उच्चतम आदर्श मूल्यों के कारण लोकप्रसिद्धि प्राप्त है। गाय से प्राप्त पंचगव्यों के प्रयोग से जहाँ प्राणियों को शारीरिक आरोग्यता एवं पुष्टि प्राप्त होती है, वहाँ प्रकृति एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये निरापद साधन भी उपलब्ध होते हैं। इसी कारण भारत में गाय को 'गौमाता' कहकर जन्मदाता 'माँ' जैसा श्रेष्ठ दर्जा/स्थान भी प्रदान किया जाता है। अतएव माननीय महोदय से अनुरोध है कि गाय के प्रदेय को रेखांकित करते हुए गाय को 'राष्ट्रीय पशु' के रूप में स्थापित किए जाने हेतु संवैधानिक प्रक्रिया करके अधिसूचित किया जाए।

ध्यान देने योग्य तथ्य है कि राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग के उप-सचिव एन. एल. गुप्ता के हस्ताक्षर से अधिसूचना क्र. म 4 (3)पपा/2014, जयपुर, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को निर्गमित की गई थी। 'राजस्थान का राज्य पशु' विषयक इस नवीन निर्देश में निम्न उल्लेख किया गया है—


"राज्यपाल महोदय 'चिंकारा' (CHINKARA) (gazella bennettii) के साथ-साथ 'ऊँट' (Camel) (Camelus dromedarius) को भी सहर्ष 'राजस्थान का राज्य पशु' घोषित करते हैं।"

इस अधिसूचना से सुख्पष्ट है कि राजस्थान सरकार ने पूर्व में निर्धारित राज्य पशु 'चिंकारा' के साथ-साथ अब "ऊँट" को भी राज्य पशु के रूप में घोषित कर दिया है। इस प्रकार राजस्थान प्रदेश में अब दो प्राणी 'राज्य पशु' के दर्जे से अभिमण्डित हो गए हैं।

भारत सरकार से देश भर के नागरिक अनुरोध करते हैं कि वह अपने अधिकार के तहत 'गाय' को स्वतंत्र रूप से 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा प्रदान करे। कदाचित्, यदि ऐसा कर पाना संवैधानिक दृष्टि से संभव नहीं हो, तो राजस्थान सरकार के द्वारा निर्गमित उपरिलिखित अधिसूचना के अनुरूप ही वर्तमान में निर्धारित 'राष्ट्रीय पशु' के साथ ही गाय को भी 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा दिया जाना तो सुनिर्धारित किया ही जा सकता है।

आशा है आप इस विषय कि महत्ता को दृष्टि में रखकर त्वरित गति से कार्रवाई सुनिश्चित कराकर गाय को उसके वास्तविक गौरवपूर्ण स्थान/दर्जा दिलाने में अवश्य ही सहभागिता प्रदान करेंगे। आपके द्वारा इस विषय में की/कराई गई कार्रवाई की एक प्रति हमें भी उपलब्ध हो सके, ऐसी आपसे महती आपेक्षा करते हैं। सादर।

संलग्न - राजस्थान सरकार की उपरिलिखित अधिसूचना की प्रति।

भवदीय

ओमेश जितेंद्र

ज्ञानपुर दिनांक 16 SEP 2014

अधिसूचना

दिव्य— “राजस्थान का राज्य पशु”

आदर्श रु
मिश्र
(एन एल मुख्या)
शासन उप सचिव

- प्रभुत्व राजस्थान, महामहिम राजपाल महोदय राजस्थान
 उमेश, मन्मोहन मुख्यमन्त्री महोदय
 अमृत सहायक, मानोदय संतो महादय पश्चालन, मरव एवं गोपालन विभाग
 एवं तत्त्वज्ञ मुख्य सचिव, राजस्थान
 विकास संगठन अधिकारी बुज्जा मधिद पश्चालन विभाग
 विकास सचिव, राजस्थान विभाग
 राजस्त विभाग, राजस्थान
 राजस्त समाजीय अधिकार / जिला कलेक्टर / गुलिस अधीकार, राजस्थान
 प्रधान निदेशक, आरसीईएफ, जयपुर
 10. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर
 11. मुख्यालय, राजस्थान, दोकानें,
 12. निदेशक, पश्चालन/मरव/गो सेवा राजस्थान जयपुर
 13. मुख्य कार्यालयी अधिकारी राजस्थान पश्चालन विकास बोर्ड, जयपुर
 14. अधिकारी राज्य कानूनीय मुद्रणालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त
 अधिकारत्व यो विशेष राजपत्र में प्रकाशित करवाकर प्रकाशित राजपत्र को प्रति इस दिन
 को प्रयोग करने का अम करदै।
 15. राजेन पट्टादली

२०१८ वार्षिक संग्रह